

कार्यालय आदेश

सुश्री दिव्या राजावत, कनिष्ठ लेखाकार, को विभागीय आदेश क्रमांक 49/2017-18 दिनांक 30.06.2017 के अनुसार भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, अजमेर में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसकी पालना में सुश्री राजावत द्वारा दिनांक 01.07.2017 को उक्त कार्यालय में कार्यग्रहण किया गया था।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.25 (02) चिस्वां/2/2018 दिनांक 13.11.2018 के अनुसार भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, अजमेर को समाप्त किए जाने के फलस्वरूप उक्त ईकाई के आदेश क्रमांक अराज/सामान्य/2019/55-58 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार सुश्री दिव्या राजावत कनिष्ठ लेखाकार को दिनांक 19.02.2019 मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त कर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएँ, राज जयपुर के कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किए गये जिसकी पालना में सुश्री राजावत द्वारा अति. निदेश (प्र) चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएँ, राज जयपुर के कार्यालय में दिनांक 19.02.2019 को उपस्थिति दी।

अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर के कार्यालय आदेश सं. 597 दिनांक 25.02.2019 के अनुसार सुश्री राजावत को दिनांक 25.02.2019 को इस निदेशालय के लिए कार्यमुक्त किया गया, जिस कारण सुश्री राजावत ने दिनांक 25.02.2019 को मध्याह्न पूर्व निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग में आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दी। तत्पश्चात् इस निदेशालय के कार्यालय आदेश सं. 349 दिनांक 25.02.2019 के माध्यम से कार्मिक के आदेशों की प्रतीक्षा से प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर में नियमित पदस्थापन किया गया, जहाँ श्री राजावत द्वारा दिनांक 26.02.2019 को कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः सुश्री राजावत की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि दिनांक 25.02.2019 को राजस्थान सेवा नियम 7 (8)(B)(III) के अन्तर्गत कर्तव्य अवधि के रूप में नियमित करते हुए दिनांक 25.02.2019 के वेतन आहरण की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

प्रभारी अधिकारी भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, अजमेर के पत्र क्रमांक 119 दिनांक 30.08.2019 तथा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जे.एल.एन. आयुर्विज्ञान महाविधालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर के पत्र सं. 45727 दिनांक 06.09.2019 के अनुसार अवगत कराया गया कि भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई अजमेर को समाप्त कर दिए जाने के कारण सुश्री दिव्या राजावत कनिष्ठ लेखाकार को दिनांक 01.01.2019 से 25.02.2019 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। अतः प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर के अनुरोध के आधार पर सुश्री दिव्या राजावत कनिष्ठ लेखाकार को दिनांक 01.01.2019 से 25.02.2019 तक का वेतन उपकोष कार्यालय सरवाड़ (अजमेर) के कार्यालय में रिक्त रहे कनिष्ठ लेखाकार के पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैं :-

क्रमांक:- एफ.4(ई) डी-3307/2013/ अलेसे-III/5333

दिनांक :- 06/03/2020

1. कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
2. कोषाधिकारी, अजमेर।
3. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय सरवाड़, अजमेर।
4. सुश्री दिव्या राजावत, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर
5. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
7. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)